न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/43 दायरा दिनांक : 10.05.2022

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. श्रीकिशन पुत्र श्री ग्यारस्या उर्फ रमला, जाति मीना, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   1/1. राजमल पुत्र श्री श्रीकिशन, जाति मीना, निवासी झारखण्ड
   1/2. सुमेर सिंह पुत्र श्री श्रीकिशन, जाति मीना, निवासी झारखण्ड मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   1/2/1. रोशन बाई पत्नी श्री सुमेर सिंह, जाति मीना, निवासी झारखण्ड
   1/2/2. नेवन्ती बाई पुत्री श्री सुमेर सिंह, पत्नी श्री नरेन्द्र मीना, जाति मीना, निवासी नृसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
   1/2/3. मनोज पुत्र श्री सुमेर सिंह मीना, जाति मीना, निवासी झारखण्ड
   1/2/4. मधु पुत्री श्री सुमेर सिंह पत्नी ललित, जाति मीना, निवासी छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
   1/3. राज बाई पुत्री श्री श्रीकिशन पत्नी श्री मथुरालाल, जाति मीना, निवासी रामबिलास, तहसील किशनगंज, जिला बारां
   1/4. उर्मिला पुत्री श्री श्रीकिशन पत्नी श्री रामगोपाल, जाति मीना, निवासी भैरूपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
   1/5. पुष्पा बाई पत्नी स्वर्गीय श्रीकिशन, जाति मीना, निवासी झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
2. मथुरालाल पुत्र श्री ग्यारस्या उर्फ रमला, जाति मीना, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   2/1. भंवरलाल पुत्र श्री मथुरालाल, जाति मीना, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
   2/2. रामस्वरूप पुत्र श्री मथुरालाल, जाति मीना, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
   2/3. सुरेश पुत्र श्री मथुरालाल, जाति मीना, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
   2/4. राजन्ती बाई पुत्री मथुरालाल पत्नी श्री चम्पालाल, जाति मीना, निवासी महाराजपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां, राजस्थान
   2/5. धोबी बाई पुत्री श्री मथुरालाल पत्नी श्री मांगीलाल, जाति मीना, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
   2/6. रामपति पुत्री श्री मथुरालाल, पत्नी श्री बाबूलाल, जाति मीना, निवासी झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

2/7. कमला बाई बेवा श्री मथुरालाल, जाति मीना, निवासी झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

3. पाना चन्द पुत्र श्री हरिकिशन, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
4. कलावती पुत्री श्री हरिकिशन, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
5. बहादुर सिंह पुत्र श्री हरिकिशन, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
6. भूर सिंह पुत्र श्री हरिकिशन, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
7. छोटूलाल पुत्र श्री श्री हरिकिशन, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–

7/1. रिंकेश कुमार पुत्र श्री छोटूलाल, जाति मीणा, नाबालिग जरिये वली माता चन्दन बाई पत्नी स्वर्गीय श्री छोटूलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

7/2. पूजा पुत्री श्री छोटूलाल, जाति मीणा, नाबालिग जरिये वली माता चन्दन बाई पत्नी स्वर्गीय श्री छोटूलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

7/3. चन्दन बाई पत्नी स्वर्गीय श्री छोटूलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

7/4. ताराचन्द पुत्र श्री हरिकिशन, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री मोहनलाल सुमन व श्री हेमराज बैरवा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.08.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 84/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया, तहसील अटरू, जिला बारां में वादीगण के पिता एवं दादा ग्यारस्या उर्फ रमला पुत्र पांचू, जाति मीणा, निवासी झारखण्ड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मगरा डडवाडा, तहसील अटरू के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 23 की खसरा नं. 461 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 465 रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 466 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 468 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 39 बीघाा 4 बिस्वा आराजियात स्थित थी जो नामान्तरकरण सं. 99 आदेश तहसील अटरू से आराजी खसरा नं. 465 रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 468 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 33 बीघा 6 बिस्वा भूमि सीलिंग में अधिग्रहण किये जाने से खाता सं. 23 संवत 2032–2035 व नकल नामान्तरकरण सं. 99 तथा निर्णय दिनांक 19.11.1977 न्यायालय उपजिला कलेक्टर, छबडा सरकार बनाम रमला पुत्र पांचू, जाति मीणा निवासी झारखण्ड पेश है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2020 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून एवं न्याय के मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय में दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकी नं० 1 ता 3 कायम की गयी जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं० 1 में वादीगण के पूर्वजों, स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजियात बताकर वादीगण के पक्ष में निर्णय करने में भारी भूल की है जबकि नामान्तरकरण संख्या 99 से खसरा नं0 465 रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नं. 468 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल 33 बीघा 6 बिस्वा सिवायचक दर्ज कर उक्त भूमि को राज० सरकार द्वारा सीलिंग मे अधिग्रहण किया जाकर खाता राज कर दी गयी परन्तु इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का गौर नहीं करते हुये वादीगण के पक्ष में निर्णीत करने में कानूनीं भूल की है तथा इसी प्रकार तनकी नं0 2 में वादीगण के पिता ने एक वाद न्यायालय उपजिला कलेक्टर, छबडा के यहाँ सीलिंग अधिग्रहण के खिलाफ दिनांक 19.10.1977 को कार्यवाही की परन्तु निर्णय दिनांक 19.10.1977 से ना तो वादीगण के पिता, ना ही वादीगण ने किसी प्रकार की कोई इजराय कब्जा लेने बाबत पेश नहीं की। इसलिये उक्त निर्णय मियाद बाहर हो जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर ना करते हुये तनकी नं0 2 निर्णीत कर भारी भूल की है इसी प्रकार तनकी नं० 3 में केवल अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त मानकर निर्णीत की गयी है जबकि वादीगण द्वारा कब्जा बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है इसलिये तनकी नं० 1 ता 3 का सही प्रकार से विवेचन नहीं कर वाद निर्णीत करने में भारी भूल की है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपाप्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार, अटरू के जवाब दावे पर कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। क्योंकि उपजिला कलेक्टर, छबडा की सीलिंग पत्रावली जिसमे सीलिंग की अधिग्रहित भूमि को मुक्त करवाने के आदेश की अधीनस्थ न्यायालय में कोई इजराज पेश नहीं की गयी है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय होने में मात्र चार माह का अन्तर है चार माह में ही निर्णय पारित किया है, अवसर नहीं मिलने के कारण अपीलान्ट द्वारा पेरोकार नियुक्त नहीं कर सके। इसलिये एकपक्षीय निर्णय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पारित किया है जबकि राज० राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 133 के तहत उत्तराधिकारी व कब्जे रिपोर्ट व्यक्ति जो किसी सम्पति या किसी भूमि या उसके लाभो में अन्य अधिकार व हित का कब्जा उत्तराधिकारी या अन्तरण द्वारा या अन्यथा प्राप्त करें। इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों के अधीन वार्षिक रजिस्टर में अभिलेख करना अपेक्षित है ऐसे तथ्यों को हल्का पटवारी के नोटिस में लायेगा। ऐसा कब्जा प्राप्त करने की तारीख से तीन मास के भीतर तहसील में वह भूमि स्थित है उसके तहसीलदार को या तो गांव के पटवारी या भू–अभिलेख निरीक्षक के तहत मार्फत करेगा। यदि ऐसा व्यक्ति अव्यस्क या अन्यथा निर्हताग्रस्त है तो उस व्यक्ति का संरक्षक या उसकी सम्पति का अन्य व्यक्ति करेगा। जिसकी वादीगण/रेस्पो० द्वारा उक्त कानूनी प्रावधान की पालना नहीं की है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर नहीं करते हुये दावा निर्णय व डिक्री करने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपाप्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2020 निरस्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.04.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि कुल 39 बीघा 4 बिस्वा आराजी है जिसमें 30 बीघा 11 बिस्वा आराजी जोन सीमा से अधिक होने के कारण राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त अपील तहसीलदार के विरूद्ध एक्स पार्टी हुई है। हमें जवाब का अवसर नहीं मिला। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, छबडा का आदेश दिनांक 19.10.1977 से भूमि को सीलिंग से मुक्त कर दिया था। रेस्पोडेंट नाबालिक थे इस कारण उस समय आदेश की पालना नहीं हो पायी इस कारण यह दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार ने जवाब पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2032–2035 प्रदर्श पी–8 के अनुसार ग्राम खेडली नाहरिया, तहसील अटरू, जिला बारां में की खाता संख्या 23 की खसरा नं. 461 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 465 रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 466 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 468 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 39 बीघा 3 बिस्वा विवादित आराजी ग्यारस्या उर्फ रमला पुत्र पांचू, जाति मीणा, निवासी झारखण्ड मगरा डडवाडा, के खाते दर्ज रिकार्ड है। नकल नामान्तरकरण पंजिका ग्राम खेडली नाहरिया, तहसील अटरू, जिला बारां संवत 2034 प्रदर्श पी–7 के अनुसार नामान्तरकरण सं. 99 से खसरा नं. 465 रकबा 30.11 बीघा एवं खसरा नं. 468 रकबा 2.15 बीघा कुल 33.06 बीघा आराजी सीलिंग में अधिग्रहण की जाने से खाता राज. दर्ज की गई। नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग प्रदर्श पी–6 के अनुसार साबिक खसरा नं. 465 एवं 468 के हाल खसरा नं. 578, 585, 586 बने हैं। नकल जमाबंदी संवत 2064 – 2077 प्रदर्श पी–3 के अनुसार ग्राम खेडी नाहरिया, तहसील अटरू, जिला बारां की विवादित आराजी खसरा नं. 578, 585, 586 राज्य सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत बमोरी के प्रमाण पत्र दिनांक 15.05.2009 प्रदर्श पी–4 के अनुसार विवादित आराजी के पूर्व खातेदार ग्यारसा उर्फ रमला पुत्र पॉचू मीणा, निवासी झारखण्ड की मृत्यु हो चुकी है और वादीगण ग्यारसा उर्फ रमला के वारिसान है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न उप–जिलाधीश, छबडा के निर्णय दिनांक 19.10.1977 प्रदर्श पी–5 के अनुसार सरकार बनाम रमला पुत्र पॉचू मीना में उप–जिलाधीश, छबडा द्वारा निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया है कि अप्रार्थी की कोई भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं पाई गई। अतः उसके विरूद्ध अधिकतम जोत सीमा अधिनियम की कार्यवाही निरस्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से वादी रेस्पोडेंटगण द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा दिनांक 03.01.2013 को प्रस्तुत जवाब की मद नं. 4 में यह अंकित किया है कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर, छबडा द्वारा दिनांक 19.10.1977 को निर्णय पारित हो जाना संशयास्पद है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में निर्णय दिनांक 19.10.1977 प्रदर्श पी–5 सलंग्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श पी–5 निर्णय दिनांक 19.10.1977 के विस्तृत निर्णय की छायाप्रति भी संलग्न है किन्तु यह निर्णय की छायाप्रति होने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक्जीविट नहीं होने के कारण विधिवत रूप से पठनीय नहीं है। इसी प्रकार प्रतिवादी अपीलांट ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि उप जिला कलेक्टर, छबडा की सीलिंग की पत्रावली जिसमें सीलिंग में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधिग्रहित भूमि को मुक्त करने का आदेश दिया गया हो उस मूल पत्रावली को देखे बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। इस सन्दर्भ में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25.06.2025 को अपील में मूल बहस सुनने के पश्चात पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21.07.2025 में नियत की गई परन्तु निर्णय पारित करने से पूर्व प्रतिवादी अपीलांट तहसीलदार अटरू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब के अवलोकन पश्चात राज्यहित में निर्णय पारित करने से पूर्व न्यायालय उपजिलाधीश छबडा के निर्णय दिनांक 19.10.1977 की पत्रावली प्राप्त कर इस न्यायालय हाजा में पेश करने हेतु समय प्रदान किया गया। राजकीय अधिवक्ता ने दिनांक 06.08.2025 को प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र फार्म नं. 1 की प्रभारी अधिकारी, जिला रिकॉर्ड रूम बारां द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जिसमें यह अंकित किया गया है कि निर्णय दिनांक 19.10.1977 बउनवान सरकार बनाम रमला के अनुसार जमाशुदा रिकार्ड में तलाश किया नहीं मिला (अप्राप्त) है।

अपीलांट ने वादी द्वारा प्रदर्श पी–5 न्यायालय उप जिलाधीश, छबडा के निर्णय दिनांक 19.10.1977 के विरूद्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वादी किसी भी समय दावा पेश कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न प्रदर्श 3, 4, 5, 6, 7, 8 के अवलोकन पश्चात हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/08/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
.... अपीलांट

बनाम

1. श्रीकिशन पुत्र श्री ग्यारस्या उर्फ रमला, जाति मीना, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–
1/1. राजमल पुत्र श्री श्रीकिशन, जाति मीना, निवासी झारखण्ड
1/2. सुमेर सिंह पुत्र श्री श्रीकिशन, जाति मीना, निवासी झारखण्ड मृतक जरिये कायम मुकामान :–
1/2/1. रोशन बाई पत्नी श्री सुमेर सिंह, जाति मीना, निवासी झारखण्ड
1/2/2. नेवन्ती बाई पुत्री श्री सुमेर सिंह, पत्नी श्री नरेन्द्र मीना, जाति मीना, निवासी नृसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
1/2/3. मनोज पुत्र श्री सुमेर सिंह मीना, जाति मीना, निवासी झारखण्ड
1/2/4. मधु पुत्री श्री सुमेर सिंह पत्नी ललित, जाति मीना, निवासी छतरगज, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
1/3. राज बाई पुत्री श्री श्रीकिशन पत्नी श्री मथुरालाल, जाति मीना, निवासी रामबिलास,तहसील किशनगंज, जिला बारां
1/4. उर्मिला पुत्री श्री श्रीकिशन पत्नी श्री रामगोपाल, जाति मीना, निवासी भैरूपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
1/5. पुष्पा बाई पत्नी स्वर्गीय श्रीकिशन, जाति मीना, निवासी झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
2. मथुरालाल पुत्र श्री ग्यारस्या उर्फ रमला, जाति मीना, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–
2/1. भवरलाल पुत्र श्री मथुरालाल, जाति मीना, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
2/2. रामस्वरूप पुत्र श्री मथुरालाल, जाति मीना, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
2/3. सुरेश पुत्र श्री मथुरालाल, जाति मीना, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
2/4. राजन्ती बाई पुत्री मथुरालाल पत्नी श्री चम्पालाल, जाति मीना, निवासी महाराजपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां, राजस्थान
2/5. धोबी बाई पुत्री श्री मथुरालाल पत्नी श्री मांगीलाल, जाति मीना, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
2/6. रामपति पुत्री श्री मथुरालाल, पत्नी श्री बाबूलाल, जाति मीना, निवासी झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
2/7. कमला बाई बेवा श्री मथुरालाल, जाति मीना, निवासी झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
3. पाना चन्द पुत्र श्री हरिकिशन, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
4. कलावती पुत्री श्री हरिकिशन, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
5. बहादुर सिंह पुत्र श्री हरिकिशन, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
6. भूर सिंह पुत्र श्री हरिकिशन, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
7. छोटूलाल पुत्र श्री श्री हरिकिशन, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–
7/1. रिंकेश कुमार पुत्र श्री छोटूलाल, जाति मीणा, नाबालिग जरिये वली माता चन्दन बाई पत्नी स्वर्गीय श्री छोटूलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
7/2. पूजा पुत्री श्री छोटूलाल, जाति मीणा, नाबालिग जरिये वली माता चन्दन बाई पत्नी स्वर्गीय श्री छोटूलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
7/3. चन्दन बाई पत्नी स्वर्गीय श्री छोटूलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
7/4. ताराचन्द पुत्र श्री हरिकिशन, जाति मीणा, निवासी ग्राम झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
.... रेस्पोडेंट

अपील नं 2022/43
मु.न0 84/2009

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, अटरू
निर्णय व डिक्री दिनांक – 23.03.2020

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 06 माह 08 सन् 2025

श्री चन्द्र प्रकाश मीणा अभिभाषक अपीलाट की ओर से, श्री मोहनलाल सुमन व श्री हेमराज बैरवा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुआ हुआ कि :–

अपील अपीलाट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2020 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 14 माह 08 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)